30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा

(₹ लाख में)

विवरण	30.06.2022 को समाप्त तिमाही	30.09.2022 को समाप्त तिमाही	30.09.2021 को समाप्त तिमाही	30.06.2022 को समाप्त वित्त वर्ष
	संपरीक्षित लेखा	असंपरीक्षित लेखा	असंपरीक्षित लेखा	संपरीक्षित लेखा
1. अर्जित ब्याज (क) + (ख) + (ग) + (घ)	**1,00,970.11**	**1,07,049.56**	**1,18,918.57**	**4,21,916.69**
(क) अग्रिमों पर ब्याज	94,770.08	97,861.95	1,13,681.24	3,98,449.23
(ख) निवेशों पर आय	5,694.27	5,409.17	4,094.54	19,978.43
(ग) बैंक जमाओं पर ब्याज	505.76	3,778.44	1,142.79	3,489.03
(घ) अन्य	-	-	-	-
2. अन्य आय	**547.13**	**126.92**	**46,570.28**	**47,971.95**
3. कुल आय (1+2)	**1,01,517.24**	**1,07,176.48**	**1,65,488.85**	**4,69,888.64**
4. ब्याज व्यय	**69,982.81**	**72,544.46**	**86,735.68**	**3,06,581.34**
5. परिचालन व्यय (i)+(ii)	**2,853.77**	**2,221.78**	**5,372.75**	**11,890.88**
(i) कर्मियों के लिए भुगतान एवं प्रावधान	1,416.01	944.11	872.19	3,571.09
(ii) अन्य परिचालन व्यय (क) + (ख) + (ग)	1,437.76	1,277.67	4,500.56	8,319.79
(क) ब्रोकरेज, गारंटी शुल्क एवं अन्य वित्त प्रभार	60.97	57.51	78.00	299.42
(ख) उधारों पर स्टांप शुल्क	12.54	0.01	0.37	22.91
(ग) अन्य व्यय	1,364.25	1,220.15	4,422.19	7,997.46
6.विनिमय उतार-चढ़ाव के कारण (लाभ)/हानि	**(2,235.31)**	**(1,920.94)**	**(561.93)**	**(3,914.99)**
7. प्रावधान एवं आकस्मिक व्ययों को छोड़कर कुल व्यय (4+5+6)	**70,601.27**	**72,845.30**	**91,546.50**	**3,14,557.23**
8.प्रावधान एंव आकस्मिक व्ययों से पूर्व परिचालन लाभ (3-7)	**30,915.97**	**34,331.18**	**73,942.35**	**1,55,331.41**
9. प्रावधान, कर एवं आकस्मिक व्यय के अलावा	6,359.87	1,755.63	(96,325.84)	(95,760.35)
10. असाधारण मदें (लाभ)/हानि	-	-	-	(2,000.34)
11. कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से लाभ (+) / हानि (-) (8-9-10)	**24,556.10**	**32,575.55**	**1,70,268.19**	**2,53,092.10**
12. कर व्यय	5,100.00	8,711.81	43,300.00	61,125.00
13. कर के पश्चात सामान्य गतिविधियों से निवल लाभ (+) / हानि (-) (11-12)	**19,456.10**	**23,863.74**	**1,26,968.19**	**1,91,967.10**
14. असाधारण मदें (कर व्यय का निवल)	-	-	-	-
15. चुकता पूंजी (भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्व में)	1,45,000.00	1,45,000.00	1,45,000.00	1,45,000.00
16. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर आरक्षित निधियां	10,26,648.81	10,26,648.81 $	8,34,501.57 $	10,26,648.81
17. विश्लेषणात्मक अनुपात:				
(i) भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत	100%	100%	100%	100%
(ii) पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात	16.02%	16.01%	15.41%	16.02%
(iii)प्रति शेयर आय (ईपीएस)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv) एनपीए अनुपात				
क) सकल एनपीए की राशि	1,53,510.24	1,53,510.24	1,53,510.38	1,53,510.24
ख) निवल एनपीए की राशि	-	-	-	-
ग) सकल एनपीए का %	2.07%	2.05%	1.99%	2.07%
घ) निवल एनपीए का %	-	-	-	-
v) आस्तियों पर लाभ (वार्षिक)#	0.97%	1.18%	5.84%	2.33%
vi) नेटवर्थ (₹ करोड़ में)	10,670	10,901.57	10,249.12	10,670.44
vii) बकाया प्रतिदेय वरीयता शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
viii) पूंजी मोचन आरक्षित निधियां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ix) डिबेंचर मोचन आरक्षित निधियां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
x) ऋण - इक्विटी अनुपात *	5.60	5.67	6.26	5.60
xi) कुल आस्तियों के सापेक्ष कुल ऋण (%) *	82.41%	82.56%	83.13%	82.41%

**ऋण कुल उधार को एवं इक्विटी पूंजी प्लस आरक्षित एवं अधिशेष को इंगित करती है|*

 # अनुपातों की गणना के लिए असाधारण आय को अन्य आय में लिया गया है |

$ पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार|

टिप्पणियां:

1. उपरोक्त परिणाम लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षित एवं 11 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किए गए हैं।

2. डीएचएफएल खाते के समाधान के तहत बैंक को सितंबर 2021 तिमाही के दौरान पीरामल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से ₹1,054.88 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। राशि को ₹ 87.13 करोड़ के ब्याज और शेष ₹ 967.74 करोड़ के बीच मूल बकाया के बीच प्रभाजित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप एनपीए प्रावधान को वापस ले लिया गया था। इस बीच, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के संदर्भ में, बैंक को इस मामले से संबंधित कैश एस्क्रो खाते की राशि से अक्टूबर 2022 माह में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ₹ 628.33 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

3. सितंबर 2021 तिमाही के दौरान, 1991-92 घोटाले के मामले में बैंक को अभिरक्षक से ₹523.18 करोड़ (ब्याज के साथ दावा राशि) भी प्राप्त हुए। इसमें से बैंक ने ₹428.98 करोड़ की ब्याज राशि अन्य आय (एकमुश्त असाधारण मद) के रूप में बुक की थी। चूंकि बैंक ने अभिरक्षक को वचनपत्र दिया है, अत: राशि को आकस्मिक देयता के रुप में चिन्हित किया गया है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक के 04 अगस्त, 2016 के परिपत्र के अनुसार, बैंक प्रोफार्मा आईएनडी एएस विवरणी निरंतर तैयार कर रहा है और नियमित रूप से विनियामक को प्रस्तुत कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 मई, 2019 के अपने पत्र के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है।

5. जहां आवश्यक था वहां पिछले वर्षों के आंकड़ों को पुन: वर्गीकृत / पुन: व्यवस्थित किया गया है।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 11 नवंबर, 2022

एस. के. होता

प्रबंध निदेशक

सम तारीख की हमारी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 001135एन

S.K. MITTAL & CO. NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

(सीए एम.के. जुनेजा)
भागीदार
सदस्यता सं. 013117